

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 12(143) आयो/आकाशि/2015-16/ 765

दिनांक 03 मई, 2019


अत्यावश्यक

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- राजकीय महाविद्यालयों की महाविद्यालय विकास समिति कोष व छात्रनिधि कोष में उपलब्ध राशि की सूचना भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके महाविद्यालय में महाविद्यालय विकास समिति कोष व छात्रनिधि कोष में दिनांक 31 मार्च, 2019 तक उपलब्ध राशि की सूचना महाविद्यालय की Gmail पर स्प्रेडशीट **Online 18-19** के कॉलम **CL** से **CM** में दिनांक 04.05.2019 तक आवश्यक रूप से भरें।

1. नोडल महाविद्यालय से संचालित हो रहे महाविद्यालय, नोडल प्राचार्य से जानकारी प्राप्त कर अपने महाविद्यालय की राशि उक्तानुसार भरें।
2. महाविद्यालय जिनमें महाविद्यालय विकास समिति स्थापित नहीं है तथा नोडल प्राचार्य से भी संचालित नहीं हो रहे हैं, ऐसे महाविद्यालय विकास समिति वाले कॉलम में **NA** भरें।
3. स्प्रेडशीट **Online 18-19** के कॉलम **CL** से **CM** में केवल राशि लाखों में भरें।



(डॉ. दीपाली भार्गव)


संयुक्त निदेशक (आयोजना)

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ 12(143) आयो/आकाशि/2015-16/ 765

दिनांक 03 मई, 2019

प्रतिलिपि:- वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।



(डॉ. दीपाली भार्गव)

संयुक्त निदेशक (आयोजना)